

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">ख-ने-लिहें बनाए नगलाम त</p> <p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p> <p>वाजदायरी हु.न-45/2020</p>
<p>16-8-21</p> <p>02.09.2021</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीदपुर अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 02-09-21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकूलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी को प्रार्थीगण के घर पर दिनांक 20.08.2019 को आवश्यक कार्य हो जाने के कारण हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने के कारण प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 20.08.2019 को खारीज हो जाने तथा जिसकी जानकारी वकील प्रार्थीगण को होते ही वकील प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई विलम्ब किये बिना प्रकरण में वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने से वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। वहीं वकील अप्रार्थीगण ने वाजदायरी प्रार्थना पत्र को बिना अधिवक्ता के ही न्यायालय में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया जाना तथा दिनांक 20.08.2019 को न्यायालय के समक्ष वादी/प्रार्थी के या इनकी ओर से किसी भी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के खारीज हो जाने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।</p> <p>हमने बहस वकूलाय पर सगौर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी को न्यायालय में पेश किये एक वर्ष से भी अधिक का हो जाने तथा दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतीकरण के समय न्यायालय में कार्य स्थगन/ बहिष्कार होने से वकील वादी/प्रार्थी द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र वाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा</p>

बने सिंह बनाम नगरम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


वाजदायरी

क्र. नं. - 45/2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। वकुलाय उभय पक्षकारान् को मूल वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.10.2021 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)